आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 737/2025 अनवान *रामाराम बनाम राज0 राज्य वगैरा*

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01.01.26	वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 12.08.2025 को अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त अपील पूर्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष तहसीलदार आहोर द्वारा ना.क.सु.प्र.सं. 04/2022 में पारित आदेश दिनांक 02.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। जिसके साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों की बहस के उपरांत दिनांक 28.05.24 को प्रार्थी–अपीलांट के पक्ष में वादग्रस्त भूमि मौजा खारा के ख0नं0 51 रकबा 0.70 है0 (जमाबंदी संवत् 2073–76 अनुसार नये ख0नं0 623/51 उम्मेदाराम चौधरी व 622/51 दिनेश कुमार के खाते में दर्ज) के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई थी। प्रकरण में अति0 जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.25 द्वारा आरएलआर एक्ट की धारा 135(2) में पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्रावधान निदेशक भू–अभिलेख को होने से, दिनांक 28.05.24 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करते हुए, अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटा दी गई। उक्त अपील वर्तमान में न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना में वांछित अनुतोष पारित करने का आग्रह किया गया। जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ता ने फार्म 3 के साथ उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कर आग्रह किया कि न्यायालय तहसीलदार आहोर द्वारा नामान्तरकरण सुनवाई प्रकरण संख्या 04/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2022 की पालना में मौजा खारा के ख0नं0 51 रकबा 0.70 हैक्टर भूमि में सांवलिया वल्द केसराजी कौम कलबी की बजाय दिनांक 01.10.1984 को, की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गई वसीयत अनुसार वसीयत–ग्रहिता रेस्पो0सं0 2–खीमसिंह पुत्र वेरीसालसिंह के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। खीमसिंह द्वारा उक्त भूमि का दो भागों में बेचान दस्तावेज के आधार पर, वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं0 3 व 4 के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज हुई, तदउपरांत तहसीलदार आहोर के कन्वर्जन आदेश कमांकः एलसी/2022–23/151386 दिनांक 09.02.23 के द्वारा रेस्पो0सं0 4–उम्मेदाराम के नाम दर्ज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो गया है, जो जमाबंदी संवत् 2073–76 के अनुसार ख0नं0 627/623 रकबा 0.3170 हैक्टर, किस्म गै0मु0 आवासीय उम्मेदाराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार तहसीलदार आहोर के कन्वर्जन आदेश कमांकः एलसी/2022–23/151241 दिनांक 09.02.23 द्वारा रेस्पो0सं0 3–दिनेश कुमार के नाम दर्ज भूमि ख0नं0 625/622 रकबा 3140 हैक्टर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो गया है। हस्तगत अपील संपरिवर्तन आदेश की विरूद्ध प्रस्तुत नही होने से, इसमें किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया जा सकता है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की इस्तदुआ पर भी मनन किया। प्रकट तथ्यों को अनुसार प्रकरण में वादग्रस्त खसरान की कृषि भूमि का दिनांक 09.02.23 को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष सक्षम न्यायालय में संपरिवर्तन आदेश को चुन्नौति दिये बिना संभव नही है। अतः उक्त अपील औचित्यहीन प्रतीत होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज **दिनांक** 1-1-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

1/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर